न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 06/2018 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2018/00016

1. सुरेन्द्र कौर उर्फ छिन्दों पुत्री प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी हाल Brampton province of Ontario (Canada) Through Special power of Attorney Parthvipal singh S/o Avtar singh जाति जटसिख निवासी चक 39 जीबी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. बलविन्दरसिंह दत्तक पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सेवा उर्फ जसवीर कौर पुत्री प्यारासिंह पत्नी सतनाम जाति जटसिख निवासी 57 जीबी हाल बरमटन प्रोपिन्सों ओन्टेरियों(कनाडा)।
3. सुखविन्दर कौर पत्नी सरबजीतसिंह पुत्री श्री सूरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी हाल 31 करमल करेन्स बरमटन (कनाडा)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री नायब सिंह	अभिभाषक अपीलांट
	श्री विजय कुमार पारीक	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 13.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक 57 जीबी के मुरब्बा नंबर 37, पत्थर नं. 234/450 के 1.720 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 38 पत्थर संख्या 235/455 का किला

**संभागीय आयुक्त
बीकानेर**

नंबर 5 / 1 का 0.025 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 42 पत्थर संख्या 224 / 451 के 1.443 हैक्टयर भूमि, इस प्रकार कुल 3.188 हैक्टयर कमाण्ड खातेदारी में 242 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के दादा पाखर सिंह पुत्र चरण सिंह के नाम दर्ज रही। खातेदार पाखर सिंह के देहान्त के बाद अपीलांट के पिता प्यारासिंह सहित 4 पुत्र एवं 3 पुत्रीया थी। अपीलांट के पिता प्यारा सिंह के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या 169 दिनांक 05.03.2011 दर्ज हुआ। तहसीलदार अनूपगढ के उक्त इंतकाल संख्या 169 दिनांक 05.03.2011 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 12.10.201 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की अपील कतई मियाद बाहर नही थी और ना ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत दिये गये शपथ–पत्र का खण्डन ही विपक्ष पार्टी ने किया था मगर फिर भी अदालत मातहत ने अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। मियाद के बिन्दू पर अपील को खारिज करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपील के गुण अवगुण पर को विचार ही किया जो किया जाना कानूनन आवश्यक था। अपीलांट भारत से बाहर निवास कर रही है उसने पृथ्वीपाल सिंह को मुख्तयारनामा दे रखा है निर्णय की नकल का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.11.2017 को दिया गया तथा नकल दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त हुई मगर पृथ्वीपाल सिंह स्वयं दिनांक 30.12.2017 से दिनांक 09.01.2018 तक वायरल बुखार से बिमार होने के कारण चलने फिरने से असमर्थ रहा अब ठीक होते ही आकर अपील पेश कर रहा है। देरी माफ का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पश है देरी माफ करके अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। अपीलांट के पिता प्यारा सिह के विधिक वारिसान अपीलांट एवं अपीलांट की बहने सतो उर्फ सतनाम कौर, सेवा उर्फ जसवीर कौर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलविन्द्र सिंह हैं। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई वसीयत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पंजीकृत नही है। तहसीलदार ने इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट को कतई सुना ही नही। उक्त वसीयत गैरकानूनी तरीके से बनाई गई है। वसीयत में वसीयत लिखने वाले का नाम नहीं हैं। वसीयत नोटेरी से प्रमाणित ही नहीं है। धाखरसिंह के नमा की कृषि भूमि का जो हिस्सा प्यारा सिंह के पक्ष में आता है उक्त प्यारा सिंह के हिस्से में आई कृषि भूमि में अपीलांट का पूरा हक निहित है। अपीलांट को सुने बिना व बिना नोटिस दिये इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि इंतकाल सरपंच द्वारा भरा गया है। यह मात्र एग्जीक्यूशन होता है। आदेश नही होता है। अपील आदेश के विरूद्ध होती है। अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव है उक्त अपील में किसी भी स्तर पर तथ्यों पर सुनवाई नही हो सकती क्योंकि अपील अधुरी है। रेवेन्यु कोर्टस मैनुअल के प्रावधानों के विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रथम अपील को मियाद बाहर के आधार पर खारिज की थी फिर भी अपीलांट ने इस न्यायालय में भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट ने निर्णय की नकल का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.11.2017 को दिया गया तथा नकल दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त हुई मगर अपीलांट ने अपील 12.01.2018 प्रस्तुत की। अपीलांट ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद कारण भी प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ द्वारा इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना भी दिनांक 07.04.2010 को जारी की गई। जिसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका कें दिनांक 08.04.2010 के अंक में प्रकाशन करवाया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा इंतकाल दर्ज करने के संबंध में पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट भी मांगी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1. आरसीएम द्वितीय रूल 30, 2. आरआरडी 1980 पेज नं. 228
3. आरआरडी 1988 पेज नंबर 124 4. आरआरडी 1994 पेज नंबर 703
5. आरआरडी 2008 पेज नंबर 755

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने चक 57 जीबी के मुरब्बा नंबर 37, पत्थर नं. 234/450 के 1.720 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 38 पत्थर संख्या 235/455 का किला नंबर 5/1 का 0.025 हैक्टयर भूमि, मुरब्बा नंबर 42 पत्थर संख्या 224/451 के 1.443 हैक्टयर भूमि, इस प्रकार कुल 3.188 हैक्टयर कमाण्ड खातेदारी में 242 हिस्सा का इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। जिसके आधार पर तहसीलदार अनूपगढ़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 169 दिनांक 05.03.2011 दर्ज किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 को करते हुए अंकित किया कि प्रश्नगत इंतकाल के विरूद्ध लगभग 02 वर्ष पश्चात अपील पेश की है। विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राहय है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विलम्ब का कारण सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय ना होने पर अपील अपीलांट को खारिज कर दिया। जो कि नियमानुसार उचित हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 नियमानुसार जारी किया गया हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर